ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 56

सहयोग शुल्क : रु. 1 / अगस्त : 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

नए भारत के निर्माण में हर एक दिव्यांग युवा और बच्चे की भागीदारी जरुरी....

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

भारत का हर एक दिव्यांग आज अपनी प्रतिभा और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सक्षम है।

– मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे विकलांगता भी हार जाती है।

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

''है अगर हौंसला बुलंद तो होगी हर मुश्किल आसान''

कभी-कभी विकलांगता की वजह से इंसान भीतर से हार जाता है। दिव्यांगता उन्हें अंदर तक जकजोरकर रख देती है। लेकीन हंमेशा एक बात याद रखें की इश्वर जब एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से बहुत कुछ देता भी है। बस जरुरत होती उस वक्त नजरीयां बदलने की। सकारात्मक सोच अपनाने की। अगर इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उसके जीवन में लाख बाधाए सामने आये, फीर भी वह कामयाबी की और अग्रेसर होता जायेगा। इस समाज में आज भी बहुत ऐसे लोगो है जो लाचार और बेबश है लेकीन अपनी लाचारी के बावजुद भी समाज के सामने वो यह प्रदर्शीत करना चाहते है की अगर हौंसला बुलंद हो तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसलिए तो कहा गया है की...,

''सकारत्मक सोच और बुलंद हौंसले से
बिनी पंखो के भी उडा जा सकता है।''

ईश्वर के बनाये हुए हर एक इंसान में सबकुछ करने की काबेलियत है। इसलीये दिव्यांग होते हुए भी कभी अपनी क्षमता को कम मत समजीए... ईश्वर के द्वारा की गई इस शारिरीक अक्षमता को चुनौती मानकर जीत हांसिल करना यहीं आपके जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढते रहीए। आप वह सब कुछ पा सकेंगे जो आप चाहते हो...

''बुलंद हौंसले व इरादे के स्वामी होते है दिव्यांग''

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु, आपके आसपास दिव्यांगजनों के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है।

आओ आप भी हमारे साथ दिव्यांगजनों के सेवाकार्य में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अगस्त : 2021, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष-5 अंक : 56

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से बनाए जाएंगे : मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 5 मई 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अब 1 जून 2021 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा केवल निर्दिष्ट यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ही बनाए जाएंगे।

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडी आईडी कार्ड) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र दिव्यांगो के लिए उपलब्ध संपूर्ण सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोगी है।

इस परियोजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक यूडीआईडी पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से दिव्यांगजन अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे, जैसे अपने किए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवम् यूडीआईडी कार्ड के नवीनीकरण के लिए अनुरोध करना, अपने यूडीआईडी कार्ड खो जाने की स्थिति में दूसरे कार्ड बनाने हेतु अनुरोध करना, संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड की कॉपी को डाउनलोड एवं प्रिंट करना, अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट करना। साथ ही, इसके माध्यम से वे दिव्यांगता के मूल्यांकन के लिए अपने निकटतम चिकित्सा प्राधिकारी / सीएमओ कार्यालय का पता लगाने में भी समर्थ होंगे एवं वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

★ औनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :

- ★ हाल की खींची गई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी।
- ★ हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान की स्कैन कॉपी।
- ★ एड्रेस प्रुफ की स्कैन कॉपी जैसे - आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- ★ पहचान के सबूत संबंधित स्कैन कॉपी जैसे - आधार कार्ड / ड्राविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि।
- ★ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, यदि हो तो।

★ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

- ☑ सबसे पहले यूडीआईडी की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टलhttp://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application पर जाएं।
- ☑ अब होम पेज पर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करें।
- ☑ क्लिक करते ही फॉर्म में पूछी गई सभी विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण इसके अंतर्गत आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान चिन्ह, श्रेणी, ब्लड ग्रुप, वैवाहिक स्थिति, पत्रावार का पता, स्थाई पता, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि आते है एवं इसके अलावे दिव्यांगता का विवरण, रोजगार का विवरण एवं पहचान संबंधित विवरण भरें एवं निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- ☑ सभी जानकारी भरे जाने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें।
- ☑ सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जाएगा एवं आवेदन के मोबाइल पर एस.एम.एस. के द्वारा इनरोलमेंट / रजिस्ट्रेशन नंबर भेज कर इसकी पुष्टि की जाएगी।
- ☑ आवेदन की स्थिति इनरोलमेंट / पंजीकरण संख्या के द्वारा ऑनलाइन जांच की जा सकती है।
- ☑ प्रिंटेड यूडी आईडी कार्ड की दिव्यांगों के डाक पते पर भेजा जाएगा।

★ यूडी आईडी कार्ड का लाभ किसे मिलेगा ?

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) का लाभ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 में उल्लिखित 21 प्रकार के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजन जैसे - गति विषयक या लोको मोटर दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, बोनेपन वाले, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित, नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज दिव्यांगता वाले, बौद्धिक दिव्यांग, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ऑटिस्टिक, मानसिक रुग्ण, बहू स्कलेरोसिस, पार्किसन रोग वाले, हीमोफीलियास, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु - दिव्यांग व्यक्तियों को मिल सकेगा, जिन्हें किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक प्रमाणित किया गया हो।

★ यूडी आईडी कार्ड क्यों बनाएं ?

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र दिव्यांगों के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक प्रवेश टिकट अथवा एंट्री पास है। इसके माध्यम से इन्हें दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाएं एवं सुविधाओं का लाभ सुगमता पूर्वक मिल सकेगा।

इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है - राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडी आईडी कार्ड में एकरुपता का पाया जाना।

इसके पहले अलग-अलग राज्यों के दिव्यांगों को अलग-अलग तरह के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना के द्वारा गांव, प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता की व्यापकता एवं विभिन्न दिव्यांगों की संख्या एवं उनके विवरण संबंधित आंकड़े प्राप्त हो सकेंगें, जिससे दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास हेतु विशिष्ट क्षेत्रों के दिव्यांगजन के जरुरतों के अनुसार नई योजनाएं एवं कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने में सरकार को मदद मिलेगी।

सत्यमेव जयते

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

दिव्यांगों की चिंता न करने वाला समाज स्वयं दिव्यांग – माननीय मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि दिव्यांगजनों की चिंता और उनके विकास का सर्वग्राही भाव सशक्त समाज का कर्तव्य है। जो समाज दिव्यांगजनों की चिंता नहीं करता, वह समाज स्वयं दिव्यांग है। वह बात उन्होंने रविवार को जामनगर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही ।

मुख्यमंत्री की वर्चुअल अध्यक्षता में आयोजित दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के निर्माण और सशक्त राष्ट्र के लिए दिव्यांगजनों को भी विकास की धारा में साथ लेकर चलने की संस्कृति विकसित की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सहायता कर समाज में उनके सम्मानपूर्वक पुनर्वास की योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में 6 करोड़ 57 लाख रुपए के खर्च से 745१ दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाया है। रुपाणी ने कहा कि दिव्यांग स्वयं को कमजोर महसूस न करें। उनके जीवन को आत्मसम्मान से भरपूर बनाने की संवेदना के साथ केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही पूरे समाज ने दिव्यांगों के कल्याण कार्यों को गति दी है। दिव्यांगजनों की सरलता के लिए नई आईटी नीति और सुगम्य भारत अभियान के तहत देशभर में दिव्यांगों की सार्वजनिक स्थानों में आसान पहुंच के लिए सुविधाएं विकसित की गई है।

परीक्षण में लोगों की सहायता करने में जुटा एम्स का दिव्यांग कर्मचारी - संतदेव चौहान

संतदेव चौहान पिछले 25 वर्षो से एम्स में एक कर्मचारी हैं और इस महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। वह दूर दराज के क्षेत्रों से एम्स आने वाले लोगों के इलाज की सुविधा प्रदान कर रहे हैं । संतदेव एक सामुदायिक रसोई धर (कम्युनिटी किचन) चला रहे हैं और प्रतिदिन लगभग पचास लोगों को खाना खिलाते हैं। यही नहीं, वह लोगों की ठहरने की व्यवस्था में भी मदद करते हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा मैं कई सालों से एम्स में काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा है कि मुझे संतुष्टि मिलती है, जब मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूं, जो आर्थिक रुप से भी परेशान होते हैं। मैंने अपना एक साल का वेतन भी पीएम-केयर्स फंड को दान किया है ।

संतदेव उत्तर प्रदेश के मऊ से हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उपने दादा से समाज सेवा का जुनून मिला । संतदेव एम्स दिव्यांग कर्मचारी महासंघ के प्रमुख हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी सहित लगभग 2,000 सदस्य हैं।

जब उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सैकड़ो लोगों की मदद की है और आज उन्होंने एक मरीज के परीक्षण के लिए भी भुगतान को जल्द से जल्द टीकाकरण करने में मदद कर रहे हैं ।

महामारी के दौरान देश कठिन समय का सामना कर रहा है और बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और कुछ अवैध गतिविधियों जैसे कालाबाजारी और पैसे कमाने के अन्य साधनों में लिप्त हैं। इस स्थिति में, संतदेव जैसा व्यक्ति समाज के लिए एक आशा है।

संतदेव कहते हैं कि एम्स में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब पृष्ठभूमि से हैं और वे अस्पताल में भार के कारण संकट में हैं और उनकी छोटी सी मदद उन्हें सांत्वना प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि वह कभी-कभी उन लोगों के लिए नि-शुल्क आवास की सुविधा की व्यवस्था भी करते हैं । फेडरेशन ऐसे लोगों के लिए संसाधन भी जुटाता है।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां' दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एवं वित्त पोषित एक अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ताकि, वे पढ़ लिख कर अपनी पारिवारिक भरण-पोषण करने में सक्षम हो सकें और समाज में एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

3 जुलाई 2018 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी की थी, जिसमें सपष्ट उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ६ छात्रवृत्ति योजनाओं को एक अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना में विलय किया गया हैं, जो कि १ अप्रैल 2018 से प्रभावी है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अंब्रेला योजना के 6 घटक निम्नलिखित हैं :

१. दिव्यांग विद्यार्थीयों के लिए प्रि-मैट्रिक स्कॉलरशिप - यह नौवीं एवं दसवीं वर्ग में पढ़ रहे दिव्यांग छात्रों को दिया जाता है।

२. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप - यह कक्षा 11 वी से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में पढ़ रहे दिव्यांग ठात्रों को दिया जाता है ।

३. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा इसके अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए संस्थानों में स्नातक डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा इत्यादि में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

४. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप - यह भारतीय विश्वविद्यालयों में एमफिल एवं पीएचडी के लिए दिया जाता है।

५. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय अथवा नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति - यह विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि और पीएचडी में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को दिया जाता है।

६. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग - यह केंद्र अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं एवं तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु दिया जाता है।

उपर्युक्त ज्ञापन में सभी हित धारकों अथवा संबंधित एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों को लाभार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि दिव्यांग छात्र अधिक से अधिक संख्या में इन छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें।

★ छात्रवृत्ति का लाभ किसे मिलेगा ?

१. वह भारत का नागरिक हो।

२. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, **2016** में उल्लिखित **21** प्रकार के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजन जैसे गतिविषयक या लोकोमोटर दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, बोनेपन वाले, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित, नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज दिव्यांगता वाले, बौद्धिक दिव्यांग, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ऑटस्टिक, मानसिक रुण, बहु स्क्लेरोसिस,पार्किसन रोग वाले, डीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु दिव्यांग छात्रों को मिल सकेगा, जिन्हे किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थाई दिव्यांगता **40%** अथवा अधिक प्रमाणित किया गया है।

३. एक माता-पिता के **2** से अधिक दिव्यांग बच्चे इसके पात्र नहीं होंगे। परंतु, दूसरा बच्चा यदि जुड़वा हो, तो उन दोनों दिव्यांग जुड़वा बच्चे को इसके लिए योग्य माना जाएगा।

४. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे दूसरे अथवा (बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

५. एक सत्र में केवल एक ही तरह के छात्रवृत्ति देय होंगे।

६. प्रि-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हेतु लाभार्थी का समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक वार्षिक **250000** रुपए से अधिक नहीं और उच्च श्रेणी शिक्षा, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति एवं निशुल्क कोचिंग हेतु प्रतिवर्ष पारिवारिक आय **600000** रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए कोई वार्षिक आय सीमा नहीं है।

★ छात्राओं के लिए आरक्षण -

प्रतिवर्ष प्रि-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए कुल छात्रवृत्तियों का **50**त्न एवं नेशनल ओवरसीर छात्रवृत्ति में कुल छात्रवृत्तियों का ३०त्न छात्राओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि, छात्राओं का उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में छात्रों का चयन किया जा सकता है।

★ कार्यान्वित एजेंसी -

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति एवं निशुल्क कोचिंग के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। जबकि, अन्य छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल जैसे एनएसपी पोर्टल और यूजीसी पोर्टल सृजित किए गए हैं। छात्रवृत्ति की राशि बैंक के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक में डाले जाएंगे।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को शिक्षा जारी रखने के लिए सिर्फ निर्धारित वित्तीय सहायता दी जाएगी उन्हें रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती।

यदि उम्मीदवार के द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती है अथवा संलग्न किए गए दस्तावेज नकली साबित होते हैं, तो उसकी छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी जाएगी। यदि व्यक्ति छात्रवृत्ति का लाभ ले चुका है तो खर्च की गई राशि पर **15**त्न चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी एवं उसे भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा और उस पर यथोचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस योजना के प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार बदलाव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव के अनुमोदन से किया

दिव्यांग भगवान त्रिवेदी सौर ऊर्जा से चलाते है अपना रिक्शा, आय में हुई वृद्धि

गुजरात के डिसा में रहने वाले भगवान त्रिवेदी नाम का एक दिव्यांग युवक सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रिक्शा चलाने वाले इस दिव्यांग युवक ने अपनी बेटरी से चलने वाली रिक्शा को सोलर प्लेट डलवा कर अपनी आय को दोगुना कर लिया है। भगवान अपंग था इसलिए उसने बेटरी से चलने वाली एक रिक्शा खरीदी थी। जो की एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर चलती थी।

हालांकि बाद में अपने मित्रों की सलाह से रिक्शा में सोलर प्लेट फिट करवाई थी। जब से उसने रिक्शा के ऊपर सोलर प्लेट फिट करवाई है, उनकी रिक्शा 120 किलोमीटर से भी अधिक चलती है। जिसकी वजह से अब उसे दोगुना फायदा हो रहा है। इस रिक्शा में आठ से नौ लोग आसानी से सवारी कर सकते है। भगवान कहते है की सोलर प्लेट डलवाने के बाद उनकी कमाई में काफी फायदा हुआ है। यही नहीं उनकी बिजली की भी खपत कम हो रही है, जो की पर्यावरण के लिए काफी अच्छी बात है। भगवान कहते है की मुझे इससे काफी फायदा हुआ है इसलिए वह अन्य लोगों से भी अपील करेंगे की इस तरह सोलर से चलने वाले रिक्शा का ही चयन करे, जो की काफी लाभदायक साबित हो सकती है।

कोरोना काल में दिव्यांग मोहन सिंह के जज्बे को सलाम

कोरोनाकाल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगो की सेवा में जुटे मोहन सिंह सूर्यवंशी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जरुरतमंदों के लिए अगर मेरा जीवन काम आता हैं तो इससे अच्छा अवसर मेरे लिए और कुछ नही हो सकता हैं । मोहन सिंह स्वयं ऑटोचालक हैं और एक संस्था के माध्यम से जुड़कर जयपुर के किसी भी क्षेत्र के कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं । दिव्यांग मोहन सिंह सूर्यवंशी के इस जज्बे को देखकर के लोग उन्हें सेल्यूट कर रहे हैं और कहते हैं कि लोग इस समय धरों से बाहर नही निकल रहे हैं और ऐसे में मोहन सिंह अपनी इच्छाशक्ति से लोगो का दिल जीत रहे हैं । मोहन सिंह की खासियत यह हैं कि वो उन्ही लोगो को भोजन देते हैं जो मास्क लगाकर के रखते हैं अगर कोई बिना मास्क के भोजन लेने आ जाता हैं तो वो उसे पहले मास्क लगाने की सलाह देते हैं उसके बाद भोजन देते हैं ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा दरजीपुरा गांव में आदर्श स्कूल की बहनों को सेनेटरी पेड का वितरण किया गया

गायत्री विकलांग मानव मंडल की और से दरजीपुरा गांव में आदर्श स्कूल की 150 बहनों को सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। सब अध्यापक और उनके आचार्य चकित हो गए और उन्होने कहा कि यह जरुरी था बहनों को यह चीज देने से बहुत अच्छा लाभ होगा। सभी बहनों को अच्छी तरह से समझाया गया की इसका उपयोग किस तरह से करना है और समयसर इसका इस्तेमाल करना है। इससे आगे कोई बीमारी न फैले इसका ध्यान रखना है। सभी लड़कियां खुश हो गई। आदर्श स्कूल के आचार्य ने संस्था को धन्यवाद देते हुए बताया की ऐसा दान अभी तक किसी ने नहीं दिया। गायत्री विकलांग मानव मंडल की ओर से यह पहली बार ऐसा नेक और सराहनीय काम किया गया है। श्रीमान दिनेश भाई ने बताया कि देवी ने बताया हमारी संस्था को प्रमाणपत्र भी दिया गया।

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्या भाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड द्वारा मनो दिव्यांग बच्चों में "व्यवहार संबंधित समस्या" जानने के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्या भाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड द्वारा मेमनगर गांव में कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण के भाग रुप में संस्था के द्वारा मनोदिव्यांग बच्चों के लिए 5 दिन के लिए व्यवहार संबंधित समस्या के बारे में वर्कशॉप का ऑनलाइन आयोजन किया गया था । जिसमें अलग-अलग तरह के रंगो के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को जानने का प्रयास किया गया और माता-पिता के साथ काउंसलिंग भी किया गया । जिसमें खुशियां, उदासी, हठ और गुस्सा यह चार भावनात्मक व्यवहार की समीक्षा की गई थी । इस वर्कशॉप के तहत बच्चों को हर रोज एक स्माइली बनाने का कहा जाता था और उस स्माइली का 4 भाग बनाने को कहा जाता था । उसके बाद सेशन के अगले दिन ऊपर बताए गए व्यवहार के बारे में आपने क्या अनुभव किया यह सोचने के लिए उसे वक्त दिया जाता था और थोडे वक्त के बाद आपने क्या अनुभव किया ? यह रंगो के द्वारा स्माइली में बताने का कहा जाता था । जिसमें खुशियों के लिए हरा रंग, उदासी के लिए काला रंग, हठ के लिए ब्लू रंग और गुस्से के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करना रहता था । यह चारों में से जिस भाव का ज्यादा अनुभव होता था उस हिसाब से स्माइली के चारों भागों में 1 भाग 2 भाग 3 भाग ऐसे कम ज्यादा रंग भरे जाते थे ।

5 दिन की यह ऑनलाइन वर्कशोंप में हर रोज मनोदिव्यांग बच्चों को एक नया स्माइली बनाने को कहा जाता था और उसमें बच्चों के द्वारा रंग भरवा कर उनके भीतर छिपे हुए व्यवहार को जानने का प्रयास किया जाता था । और बच्चे के व्यवहार के अनुसार उनके माता-पिता को मार्गदर्शन दिया जाता था । मनोदिव्यांग बच्चों और उनके माता-पिता ने उत्साह से इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया था और अपने-अपने बच्चों की व्यवहार की समीक्षा करके मार्गदर्शन भी प्राप्त किया ।

यह वर्कशॉप का आयोजन संस्था के स्पेशल एजुकेटर श्री कृतिका प्रजापति ने सीनियर एजुकेटर श्री निलेश पंचाल के मार्गदर्शन के तहत किया था । इस वर्कशॉप में रंगो द्वारा बच्चों में व्यवहार संबंधित समस्याओं को जानने का एक बेहतर प्रयास किया गया । इस वर्कशॉप मनोदिव्यांग बच्चों और उनके माता-पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही ।

पार्कींसन रोग

★ पार्कींसन रोग क्या है ? ★

यह एक तंत्रिका तंत्र का तेजी से फेलनेवाला विकार है । जो आपकी गतिविधीओ को प्रभावित करता है । पार्कींसन रोग धीरे-धीरे विकसीत होता है । यह रोग कभी-कभी केवल एक हाथ में होने वाले कंपन के साथ शुरु होता है । लेकीन जब कंपकंपी पार्किसन रोग का सबसे मुख्य संकेत बन जाती है तो यह विकार अकड़न या धीमी गतिविधीओ का कारण भी बनता है।

दुनिया में करीब एक करोड से भी ज्यादा लोग इस बिमारी से पीडीत है । भारत में हर साल कंई मामले सामने आते है । यह रोग कीसी भी उम्र में हो सकता है । हालांकी पार्कींसन रोग 60 साल के पार लोगो में अधिक देखने को मिलता है । लेकीन आजकल युवाओ में भी इसके मामले बढ रहे है।

★ ऐसे पहेचाने रोग ★

कुछ खास लक्षण इस रोग की और इसारा करते है। जैसे शरीर में कंपन होना, जकडना, शारीरिक क्रियाओ को तेजी से न कर पाना, झुककर चलना, अचानक गिर पडना, बात करने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण इस बिमारी की शरुआत में ज्यादातर देखने को मिलते है। पार्कींसन रोग के लक्षण या संकेत अलग-अलग लोगो में अगल-अलग हो सकते है।

★ पार्कींसन रोग के कारण ★

इस रोग में मस्तिष्क में उपस्थित कुछ तंत्रिका कोशिकाए (न्युरॉन्स) धीरे-धीरे खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है । न्युरॉन्स हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायण उत्पन्न करते है।

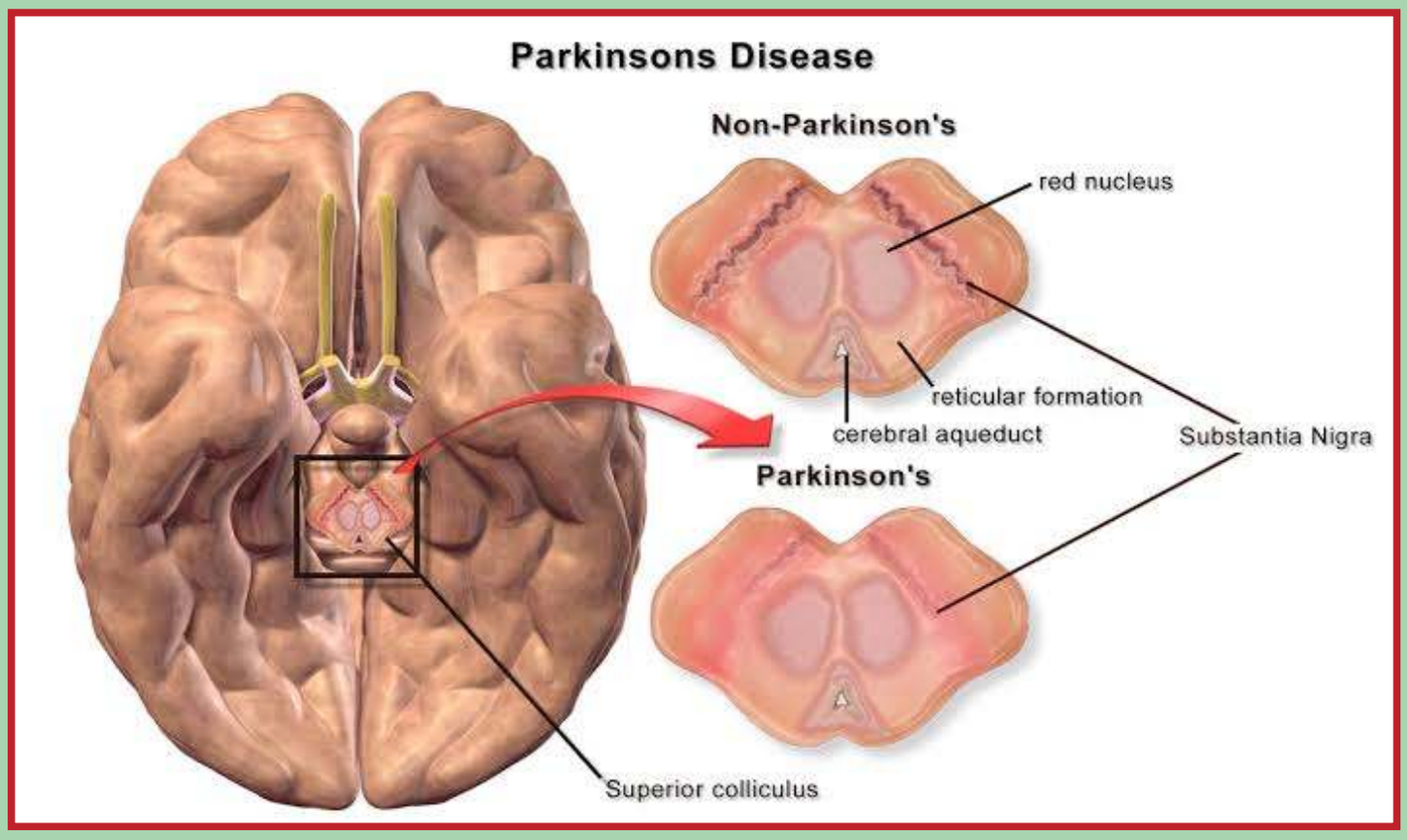

इन न्युरॉन्स के स्तर में आनेवाली कमी असामान्य मस्तिष्क गतिविधी का कारण बनती है, जिसके परीणाम स्वरुप पार्कींसन रोग के संकेत मिलते है। पार्कींसन रोग का कारण अज्ञात है, लेकीन इसके होने के कंइ कारण हो सकते है जैसे की...

- आपके जीन **(Genes)** :- शोधकर्ताओने विशिष्ट जीनेटीक उत्परीवर्तनो **(Genetic Mutations)** की पहचान की है। जो पार्कींसन बीमारी का कारण बन सकते है । लेकीन ये पार्कींसन रोग से प्रभावित परीवार के सदस्योवाले दुर्लभ मामलो के अलावा असामान्य होते है।

★ पर्यावरण से संबंधीत कारण ★

कुछ विषात्तक पदार्थो या पर्यावरणीय कारको का प्रभाव अंतिम चरण के पार्कींसन रोग के जोखिम को बढा सकता है। लेकीन कुल मिलाकर इनसे पार्कींसन रोग जोखिम कम ही होता है।

इसके अलावा वायरस के संपर्क में आना, दिमाग की नस दबना, सिर पर चोट लगना जैसे अलग-अलग कारण भी इस बिमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते है।

संक्षेप मे, पार्कींसन बिमारी के लिए उतरदायी कारकों की पहचान करने के लिए अभी और अधिक शोध कीये जाने की आवश्यकता है।

★ पार्कींसन रोग का इलाज ★

हालाकी अभी तक पार्कींसन रोग का कोई सटीक इलाज नही मील पाया है । लेकीन, असके बावजुद ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके है जिससे इस बिमारी को कंट्रोल कीया जा सकता है। ऐसी स्थिति में

- दवाईयों
- एकसरसाइझ
- जीवनसैली में बदलाव करना

इत्यादि कारगर उपाय साबित हो सकते है।

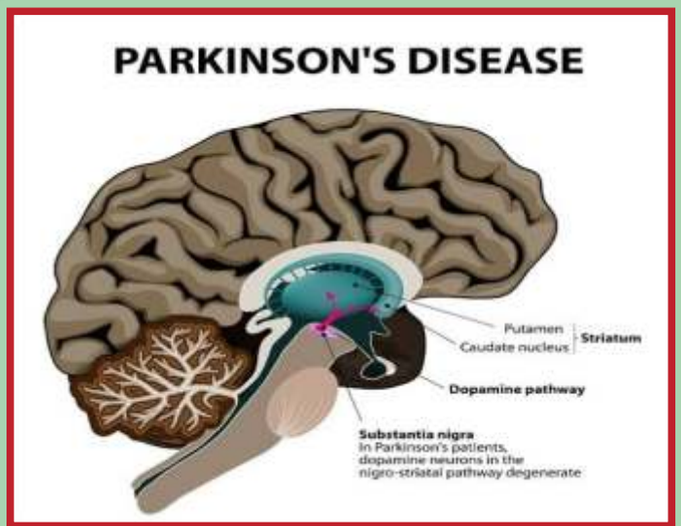

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर